न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बिजौलियॉं, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 107/22

तारीख दायर 29/4/22

1– कैलाश पुत्र शंकर जाति नाई, उम्र वयस्क निवासी आरोली तहसील बिजौलियॉं जिला भीलवाड़ा (राज0)

2– सत्तु पुत्र शंकर जाति नाई, उम्र वयस्क निवासी आरोली तहसील बिजौलियॉं जिला भीलवाड़ा (राज0)

3– सन्तोष पुत्री शंकर जाति नाई, उम्र वयस्क निवासी आरोली तहसील बिजौलियॉं जिला भीलवाड़ा (राज0)

---प्रार्थीगण

बनाम

1– सिंगा पुत्र देवा जाति बंजारा, उम्र वयस्क निवासी आरोली तहसील बिजौलियॉं जिला भीलवाड़ा (राज0)

---विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111–128 रा0ले0रे0 एक्ट

–:आदेश:–

दिनांक

प्रार्थनापत्र **प्रार्थीगण श्री कैलाश, सत्तु, सन्तोष** ने जरिये अभिभाषक **श्री सुनील बाकलीवाल** प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि **मौजा ग्राम आरोली, पटवार क्षैत्र आरोली, भु–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र सलावटिया, तहसील बिजौलियॉं में स्थित खाता संख्या 30 आराजी नंबर 1131/278 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि** स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं। प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत **2073 से 2076** के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड़ रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया **मौजा ग्राम आरोली, पटवार क्षैत्र आरोली, भु–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र सलावटिया, तहसील बिजौलियॉं में स्थित खाता संख्या 30 आराजी नंबर 1131/278 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि** की बाशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि ..../– रूपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियॉं को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जि. भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया